स्पीड पोस्ट

उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-03/2020/120/सोलह-2-2020
लखनऊ: दिनांक: 18 फरवरी, 2020

नियुक्तिविज्ञप्ति

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) उ0प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ0प्र0 में प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण के 06 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता विद्युत अभियंत्रण के पद पर वेतनमान रू0-15,600-39,100 ग्रेड वेतन रू0-5400/- में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम सर्वश्री-	स्थायी पता	तैनाती की संस्था
1	2	3	4
1.	गौरव कुमार मिश्र पुत्र श्री अवधेश मिश्र	एल0आई0जी0-181, विस्तार नगर, बरगदवा, गोरखनाथ, गोरखपुर, उ0प्र0- 273007	राजकीय पालीटेक्निक, मोहम्मदपुर, बहराइच
2.	सोनवीर सिंह पुत्र श्री गजवीर सिंह	ग्राम-दिलवार, पोस्ट-साथिनी, तहसील-इगलास, जिला-अलीगढ़, उ0प्र0-202145	राजकीय पालीटेक्निक, मानिकपुर, चित्रकूट

2- संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3- संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4- संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5- संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संबंधित अभ्यर्थियों को 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रहेंगे।

सुनील कुमार चौधरी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 कानपुर को मा0 आयोग से प्राप्त संबंधित अभ्यर्थियों के मूल पत्रों की प्रतियां संलग्नकों सहित उक्त के साथ इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्रों को संबंधितों की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने का कष्ट करें।